



2026:AHC:173508

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27230/2026

नीरज झा

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : सचिन कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, उमेश चंद्र शुक्ला प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

- आवेदक के अधिवक्ता श्री अमित डागा, जिनकी सहायता श्री सचिन कुमार कर रहे थे, और राज्य के अधिवक्ता श्री एन.के. शर्मा, विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
- यह जमानत याचिका मामला अपराध संख्या 120/2026, धारा 105 बीएनएस के तहत, पुलिस स्टेशन- कोतवाली, जिला- झांसी में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना कथित तौर पर 10.04.2026 को रात 9 बजे घटी थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 19.04.2026 को शाम 4:13 बजे दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई अत्यधिक देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। झांसी के जिला पुरुष अस्पताल के प्रवेश टिकट पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि सूचनादाता (मृतक) के पुत्र को पहली बार 13.04.2026 को दोपहर 12:32 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपस्थित चिकित्सक ने रोगी की शिकायत "पेट में दर्द और जमीन पर गिरने का इतिहास" के रूप में दर्ज की। सूचनादाता के पुत्र ने 14.04.2026 को सुबह 9:50 बजे दम तोड़ दिया। आगे यह भी कहा गया है कि उसी दिन पुलिस को सूचनादाता के पुत्र की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था। इसके समर्थन में दिनांक 14.04.2026 को दोपहर 12:07 बजे दर्ज जीडी प्रविष्टि पर भरोसा किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्ज है कि सह-आरोपी भगवत प्रसाद और सूचनादाता ने मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, छाती के दोनों ओर 21 सेमी x 10 सेमी के कई घाव पाए गए। रिपोर्ट में छाती की दीवार, पसलियों, स्टर्नम और उपास्थि में चोटों का भी उल्लेख है, जिसमें दाहिनी ओर की पसलियों संख्या 3 से 7 और बाईं ओर की पसलियों संख्या 3 से 6 में फ्रैक्चर शामिल हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि 13.04.2026 से पहले की कोई भी चिकित्सा जांच रिपोर्ट केस डायरी का हिस्सा नहीं है। परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट नहीं है कि मृतक को कथित घटना में उपरोक्त चोटें लगी थीं या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु से पहले लगी चोटों के कारण सदमा है। समान अपराध के आरोपी भगवत प्रसाद को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26447/2026 (भगवत प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। आवेदक समानता का दावा करता है। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आवेदक 30.04.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन वे अभिलेख से उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित रूप से दर्ज की गई है। सूचनादाता (अब मृतक) के पुत्र को पहली बार 13.04.2026 को दोपहर 12:32 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 13.04.2026 से पहले की कोई भी चिकित्सा जांच रिपोर्ट केस डायरी का हिस्सा नहीं है। परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट नहीं है कि मृतक को उक्त घटना में उपर्युक्त चोटें लगी थीं या नहीं। समान रूप से दोषी सह-आरोपी भगवत प्रसाद को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है। आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसके अलावा, आवेदक वर्तमान में लगभग तीन महीने से हिरासत में है और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित संदेह सामने नहीं लाया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा या गवाह को डराएगा। मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपरोक्त मामले में आरोपी नीरज झा को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

i. आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

ii. आवेदक अभियोजन गवाह पर दबाव नहीं डालेगा;

iii. आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होना होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

5 अगस्त, 2026

एसएस

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।